


FORM No- III

**फर्द अहकाम
(नियम 26)**

अज अदालत सहायक कलक्टर(उपखण्ड अधिकारी) मुकाम जायल
रामाकिशन बनाम सीताराम
मु0न0 32 / 2012

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
07.02.12	<p>वादीगण ने जरिऐ अभिभाषक प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88.188 के तहत पेश किया हैं।</p> <p>वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिऐ सम्मन वास्ते जबाब देही तलब किया जावे। मिसल आयन्दा दिनांक 29.02.2012 को पेश हो +</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.), (रज. जायल।) </p> <p>29/2/12 वकील वादी उपरो पीठाधीन इधिकाठी पीठाधीन उपपक्ष हैं। पत्रावली दिनांक 27/2/12 को पेश है।</p> <p>27/3/12 वकील वादी उपरो पीठाधीन इधिकाठी पीठाधीन उपपक्ष हैं। पत्रावली दिनांक 25/4/12 को पेश है।</p> <p>25-4-12 वकील वादी उपरो पीठाधीन श्री जी. ए. 12. 6 को उपरो उपपक्ष हैं। पत्रावली दिनांक 25/4/12 को पेश है। उपरो पीठाधीन उपपक्ष हैं। पत्रावली दिनांक 25/4/12 को पेश है। उपरो पीठाधीन उपपक्ष हैं। पत्रावली दिनांक 25/4/12 को पेश है।</p> <p>30/5/12 वकील वादी उपरो पीठाधीन श्री जी. ए. 12. 6 को उपरो उपपक्ष हैं। पत्रावली दिनांक 30/5/12 को पेश है। उपरो पीठाधीन उपपक्ष हैं। पत्रावली दिनांक 30/5/12 को पेश है। उपरो पीठाधीन उपपक्ष हैं। पत्रावली दिनांक 30/5/12 को पेश है।</p>	

24.3.17

कृष्णा डप. | वकील वाडी दर. 06/07
सी.पी.डी. का जवाब वकील वाडी पेश
करे। प्रजावली वाले जवाब दर. दिनांक
15-5-17 को पेश हो।

11-10-17

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमण
अवकाश पर गये हुए, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 06.12.17...को
प्रस्तुत करें।

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

6-12-17

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमण
अवकाश पर गये हुए, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 14.3.18...को
प्रस्तुत करें।

14-3-18

पक्षकार/पक्षकारान के अधिवक्ता

पीठासीन अधिकारी की मितिग में/प्रमण
अवकाश पर गये हुए, इसलिए प्रकरण
उनके समक्ष दिनांक 5.6.18...को
प्रस्तुत करें।

24.5.18

प्रजावली काणपेशी पर लेने हेतु वकील वाडी
ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया वकील वाडी
के निवेदन पर प्रजावली पेशी पर ली गयी।
वकील वाडी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
किया कि पक्षकारान के बीच राजीनामा हो
जाया है वउ को आगे नही चलाना चाहते हैं।
कतः वकील वाडी का वाउ जदिने कि प्रोस
रवादीज किया जाता है प्रजावली के लिये उकाउ
होकर नम्बर से कपडोउ उकाउ दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
जिला न्यायालय